रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1282] नई दिल्ली, शुक्रवार, जुलाई 6, 2012/आषाढ़ 15, 1934
No. 1282] NEW DELHI, FRIDAY, JULY 6, 2012/ASADHA 15, 1934

सूचना और प्रसारण मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 6 जुलाई, 2012

का.आ. 1521(अ).—केन्द्रीय सरकार, केबल टेलीविजन नेटवर्क (विनियमन) अधिनियम, 1995 (1995 का 7) की धारा 22 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केबल टेलीविजन नेटवर्क नियम, 1994 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :-

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम केबल टेलीविजन नेटवर्क (दूसरा संशोधन) नियम, 2012 है ।
(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. केबल टेलीविजन नेटवर्क नियम, 1994 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त नियम कहा गया है) के नियम 5क में खंड (ख) के पश्चात् निमनलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

"(खक) ऐसा व्यक्ति विनिर्दिष्ट समय के भीतर नियम 10क के अधीन जानकारी देगा ;"

3. उक्त नियमों में, नियम 10 के पश्चात् निम्नलिखित नियम अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

"**10.क जानकारी देने की बाध्यता**-(1) प्रत्येक मल्टी सिस्टम आपरेटर और केबल आपरेटर ऐसी जानकारी जो, यथास्थिति, केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार या केन्द्रीय सरकार अथवा प्राधिकृत अधिकारी द्वारा प्राधिकृत किसी अभिकरण द्वारा ऐसी अवधि के भीतर और ऐसे रूप में मांगी जाए जो ऐसी सरकार या अभिकरण या अधिकारी द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए, देने के लिए आबद्ध होगा ।

(2) उपनियम (1) के अधीन मांगी गई जानकारी प्रदान करने वाला मल्टी सिस्टम आपरेटर या केबल आपरेटर के प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता से ऐसी प्रदान की गई जानकारी की शुद्धता और सत्यता के बारे में अभिपुष्टि करने की भी अपेक्षा होगी ।

4. उक्त नियमों के नियम 11घ में खंड (ख) के पश्चात् निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

"(खक) ऐसा व्यक्ति विनिर्दिष्ट समय के भीतर नियम 10क के अधीन जानकारी देगा ।"

[फा. सं. 9/10/2012-बी.पी.एण्ड एल.]

सुप्रिया साहू, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF INFORMATION AND BROADCASTING

NOTIFICATION

New Delhi, the 6th July, 2012

S.O. 1521(E).— In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 22 of the Cable Television Networks (Regulation) Act, 1995 (7 of 1995), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Cable Television Networks Rules, 1994, namely:--

1. (1) These rules may be called the Cable Television Networks (Second Amendment) Rules, 2012.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Cable Television Networks Rules, 1994, (hereinafter referred to as the said rules), in rule 5A, after clause (b), the following clause shall be inserted, namely:-

"(ba) such person shall furnish the information under rule 10A within the specified time;"

3. In the said rules, after rule 10, the following rule shall be inserted, namely:-

"**10A. Obligation to furnish information.** — (1) Every Multi-System Operator and cable operator shall be bound to give such information as may be sought for by the Central Government or the State Government or any agency authorised by the Central Government or authorised officer, as the case may be, within such period and in such form as may be specified by such Government or agency or officer.

(2) The authorised signatory of the Multi-System Operator or cable operator providing the information sought for under sub-rule (1) shall also be required to affirm as to the correctness and truthfulness of the information so provided."

4. In the said rules, in rule 11D, after clause (b), the following clause shall be inserted, namely:-

"(ba) such person shall furnish the information under rule 10A within the specified time;"

[F. No. 9/10/2012-BP&L]

SUPRIYA SAHU, Jt. Secy.

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.